

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 2025

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रबटू कडा
व भू.अ.नि. बनेडिण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगारा / नायब
तहसीलदार रेलमगारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वडंगारवेडा तहसील रेलमगारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 26, 115, 116 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	वडंगारवेडा	26	मगना पुत्र शेकल शील	मगनीयम पुत्र शेकल शील
02	"	115	— व० —	— व० —
03	"	116	— व० —	— व० —
04	"	117	— व० —	— व० —



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 309

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार रेलमगारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री 21/10/25 को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,